कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल मनोहरपुर।

Email:- eercdmanohar-jhr@nic.in

पत्रांक :- 1081 ,मनोहरपुर /दिनांक :- 19.12.16.

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, मनोहरपुर

सेवा में,

वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- गुवा-सलाई पथ के कि०मी० 2.00 से कि०मी० 11.00 में वन क्षेत्र वाले पथांश का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव संख्या FP/JH/18007/2016 को Withdraw करने एवं पुनः Fresh Proposal समर्पित करने की अनुमति देने के संबंध में।

प्रसंग :- (1) इस कार्यालय का ज्ञापांक 1073(अनु०), दिनांक 14.12.2016.
(1) वन संरक्षक, प्रादेशिक वन अंचल, चाईबासा का ज्ञापांक 2364, दिनांक 02.12.2016.
(2) इस कार्यालय का पत्रांक 883(अनु०), दिनांक 07.10.2016.

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित पथ के लिए वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव दिनांक 15.02.2016 को OnLine Upload किया गया था तथा तदनुसार नोडल पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाने के उपरांत 8 प्रतियों में Hard copy वन प्रमंडल पदाधिकारी सारंडा, चाईबासा के कार्यालय में समर्पित किया गया। बार - बार किस्तों में आपति लगाई गयी एवं उन सभी आपत्तियों का निराकरण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता रहा। अंत में जब प्रस्ताव सरकार के स्तर पर पहुंचा तो यह प्रस्ताव के Catogary पर आपति लगाई है जिसका निराकरण Online करने का प्रयास किया गया परन्तु MoEF के Site पर अधोहस्ताक्षरी के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारंडा एवं वन विभाग के उच्चाधिकारियों को दी गयी है।

जहाँ तक अपयोजन हेतु वन भूमि की Area 9.969 के जगह 9.939 का सवाल है तो इस संबंध में भी वन विभाग के उच्चाधिकारियों को अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से सूचित कर दिया गया है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारंडा के कहने पर हीं ऐसा किया गया था और Hard Copy में Land Schedule area 9.969 दिखाया गया है। चूँकि वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा कहा गया था कि वन भूमि केवल 9.939 हे० ही है शेष 0.03 हे० जंगल झाड़ है जिसका उपायुक्त द्वारा अनुमति दिया जायेगा। तदनुसार ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्रवाई की गयी। अब सम्बंधित वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि पुराने प्रस्ताव को वापस कर पुनः Catogary में Road एवं area 9.969 हे० कर Online Upload किया जाय तभी प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जायेगा।

इस विषय पर **वन संरक्षक, प्रादेशिक वन अंचल, चाईबासा** द्वारा दिनांक 01.12.16 को बैठक बुलाई गयी जिसमे उन आपत्तियों के निराकरण की समीक्षा की गयी जो वन विभाग को करना था परन्तु ऑनलाइन वेबसाइट पर सुधार करना असंभव था

बैठक में तमाम संभावनाओं पर गहन विचारोपरांत वन संरक्षक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के त्वरित निष्पादन हेतु Fresh Proposal समर्पित किया जाना ही उचित होगा। इसके लिए वर्तमान प्रस्ताव को Withdraw करना होगा।

चूँकि पुराने प्रस्ताव का Hard Copy सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए सरकार स्तर पर निर्णय हेतु लंबित है सिर्फ Catogary एवं Area में Online सुधार करने की आवश्यकता है जिसे प्रस्ताव वापस लेकर (Withdraw) सुधार कर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारंडा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु इसकी सूचना दे दी जाएगी।

(क्र०पृ०उ०)

अतः अनुरोध है कि इस अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था कायम करने हेतु सरकार की इस महत्वपूर्ण पथ निर्माण योजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए वर्तमान प्रस्ताव **FP/JH/Fwd/18007/2016** को Withdraw करने तथा Fresh Proposal समर्पित करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/8/16

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, मनोहरपुर।